



COLLEGE OF AGRICULTURE - LALSOT

(Sri Karan Narendra Agriculture University-Jobner)

कृषि महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा (राज.) - 303511

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

Dr. D. K. Yadav
DEAN

Mob. No. - 7976144702
Email: dean.coalalsot@sknau.ac.in

No. F. /Store/ACL/2025/289

Date: 10-03-2025

खुली निविदा सूचना

कृषि महाविद्यालय, लालसोट में छात्र-छात्राओं के एक्सपोजर विजिट/शैक्षणिक भ्रमण पर जाने हेतु डीलक्स कोच बस 49, 43, 28 व 18 सीटर आवश्यकतानुसार (2x2) पुश बैक सीट वाली किराये पर लेने हेतु आवश्यकता है। अतः इच्छुक पंजीकृत ट्रेवल एजेंट्सियों/बस मालिकों से निर्धारित प्रपत्र में मोहरबंद निविदाएं दिनांक 18.03.2025 को प्रातः 11.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा निविदा समिति के समक्ष अपराहन 12:00 बजे खोली जायेगी। कार्यक्रम के विस्तृत विवरण एवं निविदा प्रपत्र मय आवश्यक शर्तों हेतु वेबसाइट पर देखें। तथा डाउनलोड की जा सकती है।

भ्रमण की प्रस्तावित दिनांक	अनुमाति लागत	बोली प्रतिभूति राशि 2% DD/BC	निविदा फार्म बेचने की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
आवश्यकतानुसार	04 लाख	Rs. 8000/-	दिनांक 18.03.2025 प्रातः 11.30 बजे तक	दिनांक 18.03.2025 अपराहन 12.00 बजे


भ्रमण के स्थान: राज्य एवं अन्तर राज्य या आवश्यकतानुसार भ्रमण।

सलंगन - निविदा फार्म

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्रीमान वित्त-नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर प्रेषित कर लेख है कि अपना प्रतिनिधी नामित करने का श्रम करावे।
2. श्रीमान निदेशक, छात्र कल्याण, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान प्रभारी रेडी, कृषि महाविद्यालय, लालसोट।
4. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
5. संयोजक/सदस्य निविदा समिति।
6. श्रीमान आहरण एवं वितरण अधिकारी, लेखा शाखा, कृषि महाविद्यालय, लालसोट।
7. श्रीमान मुख्य छात्रावास अधिकारी, कृषि महाविद्यालय, लालसोट।
8. प्रभारी सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट : www.sknau.ac.in & sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. मैसर्स


DEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobner
Lalsot (Dausa)


DEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobner
Lalsot (Dausa)

कृषि महाविद्यालय, लालसोट
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
तकनीकी निविदा प्रपत्र
(लिफाफा नं. 01)

प्रपत्र-अ

1. के लिए निविदा (कार्य का नाम जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की है)
2. निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम व पता.....
.....
.....
3. नाम व पता जिसको निविदा प्रस्तुत की गयी है : अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट।
4. सन्दर्भ :
5. निविदा शुल्क रु..... नकद/चैक /DD जो रसीद सं.....
..... द्वारा जमा कराया गया।
6. हम निविदा सूचना संख्या.....दिनांक.....
की सभी शर्तों से सहमत है एवं साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सीट की सभी शर्तें मंजूर है, हमारी स्वीकृति के लिए सभी पृष्ठों पर हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
7. उपरोक्त दरें कार्य एक वर्ष तक मान्य रहेंगी जिसे आपसी सहमति से तीन माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।
8. ड्राफ्ट/चैक नं..... नकद रसीद सं..... दिनांक..... रूपये.....
..... धरोहर राशि के साथ संलग्न है।
9. आयकर विवरणी सेल्स टेक्स रजिस्ट्रेशन/**PAN/GST** नम्बर सर्टिफिकेट संलग्न है।
10. निर्माता/डीलर /बस मालिक/ पंजीकृत ट्रेवल एजेंट्सियों का घोषणा पत्र संलग्न है।
11. चाहे गये सामान/कार्य के लिए हमारी दरें इस प्रकार हैं & List enclosed – Annexure-II (लिफाफा नं. 02)

(हस्ताक्षर निविदादाता)


DEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobner
Dausa

बस किराये पर लेने हेतु निविदा के लिए निर्धारित शर्त :-

1. किराया (यदि GST देय / लागू) की दरें प्रति किलोमीटर के हिसाब से देय होगी, जिसमें डीजल, ऑयल, टोल टैक्स, स्टेट एण्ट्री फीस, नाइट/पार्किंग चार्ज, परमिट एवं अन्य कर / खर्च आदि बस मालिक द्वारा देय होगा। सभी प्रकार के टैक्स की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
2. निविदा की अनुमानित लागत : ₹. 04.00 लाख
3. निविदा प्रपत्र बेचने की अन्तिम तारीख व समय : 18.03.2025 को प्रातः 11.00 बजे तक
4. निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तारीख व समय : दिनांक 18.03.2025 को प्रातः 11.30 बजे
5. निविदा खोलने की तारीख एवं समय : दिनांक 18.03.2025 को अपराहन 12.00 बजे
6. निविदा प्रपत्र की कीमत : ₹. 500/- नकद/ DD/BC द्वारा (अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट के नाम से देय होगा।)
7. बोली प्रतिभूति राशि ₹. 8000/- बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक नंबर दिनांक **Dean Cum OSD Agriculture College, Lalsot** के नाम से देय होगा।
8. गाड़ी का मेन्टीनेंस एवं चालक परिचालक का खर्च बस मालिक द्वारा वहन किया जायेगा।
9. लिफाफा नम्बर 01 में तकनीकी बिड (डीडी, तथा अन्य सभी दस्तावेज) रखनी होगी। तथा सीलबन्द करना होगा।
10. लिफाफा नम्बर 02 में केवल वित्तीय बिड रखनी होगी। तथा सीलबन्द करना होगा।
11. लिफाफा नम्बर 01 व 02 लिफाफो को एक बड़े लिफाफे में रखने होंगे। तथा सीलबन्द करना होगा।
12. बस के समस्त कागजात पूर्ण होना अनिवार्य है।
13. बस में बैठने हेतु सीटें आरामदायक होनी चाहिए तथा सामान (लगेज) हेतु पर्याप्त स्थान होना चाहिये।
14. बस में म्युजिक सिस्टम सही कन्डीशन में होना अनिवार्य है।
15. बस के ग्लास एयर टाइट होना अनिवार्य है।
16. चालक एवं परिचालक का बर्दी में होना अनिवार्य है, तथा इनका दैनिक खर्चा बस मालिक स्वयं का होगा।
17. बसें आवश्यकता होने पर कृषि महाविद्यालय, लालसोट में उपलब्ध करवानी होगी। जिस हेतु निविदाता को प्रभारी द्वारा एक दिन पूर्व अवगत करवा दिया जायेगा।
18. निविदाओं को निरस्त एवं स्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।
19. बस का मॉडल 8 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये, बस की कंडीशन अच्छी होनी चाहिये। बसें सक्षम कमेटी की सिफारिश के बाद ही स्वीकृत या अस्वीकृत की जायेगी।
20. मार्ग में गाड़ी खराब होने पर दूसरी बस समय पर उपलब्ध करवाने जिम्मेदारी बस मालिक की होगी।
21. चालक को अपना ड्राइविंग लाइसेंस एवं सम्पूर्ण जरूरी दस्तावेज यात्रा के साथ लेकर जाना होगा।
22. यह दरें आगामी एक वर्ष तक मान्य रहेगी।
23. अपरिहार्य कारणों से यदि कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होता है तो उसके लिए पार्टी को अग्रिम सूचित कर दिया जावेगा। लेकिन नये परिवर्तित कार्यक्रम को इन्हीं तय शर्तों से पूरा करना होगा।
24. निविदा फार्म के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करने होंगे:-
 1. ट्रेवल एजेन्सी की स्थिति में एजेन्सी का लाइसेंस।
 2. बस मालिक की स्थिति में बस की R.C. की फोटो कॉपी।
 3. बसों की नवीनतम फोटो एवं बस फिटनेस प्रमाणपत्र।
 4. GST यदि देय / लागू है तो GST पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा कर चुकता प्रमाणपत्र।
 5. बसों के परमिट की स्पष्ट छायाप्रति।
 6. बस के बीमा की प्रतिलिपी।
25. तकनीकी बिड में सफल होने पर ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
26. राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान (Price preference) की हकदार नहीं है, द्वारा निविदा दरों की तुलना करने में, राजस्थान ब्रिक्री कर/वैट की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय ब्रिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा।
27. सफल निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट को यह अधिकार होगा कि कार्य हेतु दिए गए आदेशों को रद्द करते हुए निविदादाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति, धरोहर राशि (Performance Security, Earnest Money) आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त की जा सकेगी।


DEAN
 College Of Agriculture
 SKN Agriculture University, Jobner
 lalsot (Dausa)

28. निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा अनुबन्ध अवधि में यदि इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही महाविद्यालय द्वारा कम दरों पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए Fall clause प्रमाण पत्र प्रपत्र 'ई' भी संलग्न करना होगा।
29. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी प्रपत्र 'द' संलग्न है। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid security)/ कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जा सकेगा।
30. निर्धारित प्रपत्र के साथ फर्म का पहचान पत्र, PAN, GST Registration No. तथा बस से सम्बन्धित मार्गें गए सभी आवश्यक दस्तावेज आदि की छायाप्रतियाँ अवश्य संलग्न करे।
31. यदि प्रपत्र डाउनलोड करके लिया गया तब रुपये 500 का DD/BC द्वारा अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट अलग से लिफाफा नं. 01 में, प्रतिभूति राशि से अलग देना होगा।
32. प्रपत्र के साथ बोली प्रतिभूति राशि का DD/BC संलग्न करे, इसके अभाव में निविदा अस्वीकार की जावेगी।
33. फर्म के सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों पर स्वयं के हस्ताक्षर करने होंगे।
34. सफल निविदादाता को रु. 500/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसका खर्चा सफल निविदादाता को वहन करना होगा।
35. सफल निविदादाता को कार्य संपादन राशि रुपये 8000.00 का डी.डी अनुबन्ध पत्र लिखने से पहले अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट के नाम से जमा कराना होगा। जिसमें अमानत राशि भी समायोजित कि जा सकती है।
36. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार** – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-
- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और
- (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।
37. **सत्यनिष्ठा संहिता** – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति –
- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त

नहीं होगा।

- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

38. **हित का विरोध –**

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :-
 - (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
 - (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
 - (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
 - (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,—
 - (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं।
 - (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
 - (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

39. **उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण** – प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

1 **अपील:-** (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन तक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-‘प’) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।


DEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobner
Dausa (Dausa)

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. **अपील का प्रारूप** - (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रपत्र - ' व ') में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. **अपील फाइल करने के लिए फीस** - (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।


DEAN
College Of Agriculture
JKN Agriculture University, Jobner
Dausa

- (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।
4. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया** – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–
- (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
- (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।
40. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट को होगा।
41. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, लालसोट (राजस्थान) होगा।

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय, लालसोट

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर


DEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobner
Jaipur (Dausa)

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों बसों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/ सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ/बस मालिक/ ट्रेवल एजेन्सी हूँ।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त (forfeit) किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर



DEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobner
Dausa (Dausa)

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन कार्यालय की जहाँ कही भी बस सप्लाई का कार्य किया है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर


DEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobner
Lalsot (Dausa)

Fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने बस सप्लाई का कार्य जहाँ कहीं भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को सप्लाई आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विश्वविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर


DEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobner
Lalsot (Dausa)

Form No.1(See rule 83 of RTPPP)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....Of.....

Before the..... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of the appellant:

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official Address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s):

- (i)
- (ii)
- (iii)

3. Number and date of the order appealed and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

4. If the appellant proposes to be represented by a representative the name and postal address of the representative.

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal.

6. Ground of appeal.....(supported by an affidavit)

7. Prayer.....

Place :Date:

Appellant's Signature


DEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobner
Lalsot (Dausa)



कृषि महाविद्यालय, लालसोट

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

Email: dean.coalalsot@sknau.ac.in

प्रपत्र- "ब"
(वित्तीय बिड)
लिफाफा नं. 02

निविदा फार्म

1. फर्म/ एजेन्सी का नाम
2. फर्म/एजेन्सी का पूरा पता
3. दूरभाष कार्यालय घर.....
4. फर्म का संगठन (एकल या साझेदारी में).....
5. आयकर (स्थाई खाता संख्या)
6. सामग्री एवं सेवा कर प्रमाण पत्र संख्या
7. बैंक का नाम.....
8. खाता संख्या IFSC Code No.
9. बस किराया दर प्रति किलोमीटर निम्नलिखित प्रस्तुत करनी है-

क्र. सं.	बस का विवरण	दर रूपये प्रति किलोमीटर सभी करों व GST सहित
1.	2.	3.
1	डीलक्स कोच बस 49 सीटर (2x2)	
2	डीलक्स कोच बस 43 सीटर (2x2)	
3	डीलक्स कोच बस 27 सीटर (2x2)	
4	डीलक्स कोच बस 18 सीटर (2x2)	

नोट - अन्य राज्यों के कर अलग से देय होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर


DEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobner
Lalsot (Dausa)